राजस्थान सरकार
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

दिनांकः 25/4/2022

क्रमांकः 439

विज्ञप्ति

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प. 14(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2022 जयपुर, दिनांक 05/04/2022 के द्वारा दिए गये निर्देशों में बीकानेर जिले में उपलब्ध चिकित्सको, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टैक्नीशियन एवं फार्मासिस्ट के स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा तक आवश्यकता के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो तक निर्धारित स्वीकृत दर पर राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963 एवं राजस्थान अधिनस्थ चिकित्सा सेवा नियम, 1965 एवं राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानानुसार अस्थाई आधार (युटीबी) पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.10.2014 एवं 09.11.2017 एवं युटीबी के संबंध में निम्नानुसार निर्धारित शर्तो के अध्याधीन स्वीकृति प्रदान की गई है। युटीबी आधार पर चिकित्सकों एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यार्थियों से दिनांक 26.04.2022 दोपहर 12.00 बजे से 02.05.2022 सांय 5.00 बजे तक जिले की अधिकृत वेबसाईट http://zilabikaner.in/onlineform/ पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते है। इन पदों हेतु ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार नही किए जाऐगें। तथा लैब टैक्नीशिन एवं फार्मासिस्ट के पदो हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यार्थिगण जिले की अधिकृत वैबसाईट से आवेदन प्राप्त/ डाउनलोड कर ऑफ लाईन आवेदन एवं प्रमाणित योग्यता प्रमाणपत्रों की प्रतियों सहित दिनांक 26.04.2022 दोपहर 12.00 बजे से 02.05. 2022 सांय 5.00 बजे तक कार्यालय सीएमएचओं स्वास्थ्य भवन त्यागी वाटिका बिस्कुट वाली गली बीकानेर में जमा करवा सकेगें।

क्र सं.	पदनाम	कुल पद/मानेदय	न्युन्तम योग्यता
1	चिकित्सक	पद–17 मानदेय– पूर्व निर्धारित दर अनुसार	एमबीबीएस/पीजी व राजस्थान मेडिकल कौसिल रजिस्ट्रेशन
2	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	पद–50 मानदेय–पूर्व निर्धारित दर अनुसार	एएनएम व राजस्थान नर्सिग कौसिल रजिस्ट्रेशन
3	लैब टैक्नीशियन	पद–50 मानदेय–पूर्व निर्धारित दर अनुसार	लैब टैक्नीशियन डिप्लोमा एवं राजस्थान पैरामेडिकल कौसिल रजिस्ट्रेशन
4	फार्मासिस्ट	पद–50 मानदेय–पूर्व निर्धारित दर अनुसार	डी–फार्मा / बी–फार्मा एवं राजस्थान फार्मेसी कौसिल रजिस्ट्रेशन

नोट :– जिले में नियोजन की समान प्रकिया अपनाये जाने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।

1– आवश्यक अस्थाई आधार (यूटीबी) पर एमबीबीएस/पीजी डिग्रीधारी चिकित्सकों को निर्धारित दर पर।
2– युटीबी आधार पर नर्सिग कर्मी एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को एनएचएम द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर।
3– इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी समय–समय पर नियमों/आदेशों/परिपत्रों आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी।
4– युटीबी आधार पर उक्त पदों को भरे जाने के संबध राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 एवं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 तथा समय समय पर संशोधित नियम तथा अन्य भर्ती नियमों के साथ जिलें में उपलब्ध रिक्तियों को आधार मानते हुए आरक्षण के नियमों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगीं।
5–पीजी/एमडी चिकित्सकों का सर्वप्रथम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
6–एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनाकर चिकित्सकों की चयन सूची बनाई जाएगी।
7– नर्सिग/पैरा मेडिकल कर्मियों के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत+ तकनीकी योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जाएगा।
8– चयन सूची में स्थानीय अभ्यर्थियों को चयन में वरियता दी जाएगीं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर

Scanned by Scanner Go